418 412

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

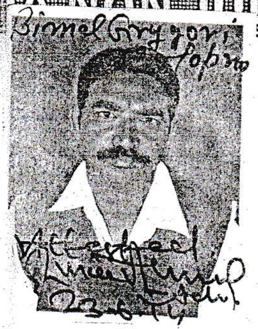

04AA 002104/14

[illegible] १९ व [illegible] एवं [illegible]
उपलकारी अधिनियम 1908 की धारा
46 (1) P20 (2) के अधीन
तथा: भारतीय स्टाम्प अधिनियम
(इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची
1 का 1 क संख्या 23 I A with the permission
[illegible] by L.R.D.C. Simdega vide
[illegible] Case No. 167/2013-14
[illegible]
Order dated 07.11.13

23.6.14

§1§ लेख्यकारी:- श्री विमल ग्रेगोरी तोपनो पिता स्व० मार्शल अलोसियुस तोपनो, जाति- मुण्डा, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- गोतरा सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. .. बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 250/2014

पैन नं० ए.ए.के.पी.टी.4290 आर.

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 002105 /14

§2§ लेख्यधारी:- श्री सुशील आईन्द पिता स्व0 कुशल आईन्द जाति- मुण्डा, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- घोसरा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 251 /2014

पैन नं0 ए.टी.क्यू.पी.ए.6140 ई.

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग पाँच लाख दस हजार रुपये अंके 5,10,000/- रुपये होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 57 §सनतावन§ प्लॉट नं0 4739 §सैंतालिस सौ उनचालीस§ रकबा 0.17 एकड़ §सतरह डिसमिल§ शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता,

दक्षिण:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश,

पश्चिम:- प्रेम खेस का खरीदगी इसी प्लॉट का अंश ।

मालगुजारी 5 पैसा §पाँच पैसा§ अलावे सेस सलाना ।

23/6/2014

तां. 23/6/14

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

§1§ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं बिमारी का इलाज के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपयुक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन मेरी दादी सुसाना तोपनो की खरीदगी जमीन है जिसे उन्होंने निबंधित केवाला संख्या 91 दिनांक 27.2.1941 के द्वारा हासिल की है । मेरी दादी एवं मेरे पिताजी का देहान्त हो चुका है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक मैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

23/6/2014

100Rs.

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 167/2013-14 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 7.11.013 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 1344§ii§ दिनांक 07.11.2013 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेखधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

100Rs.

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

बिमला गोरी नायक
23/6/2014

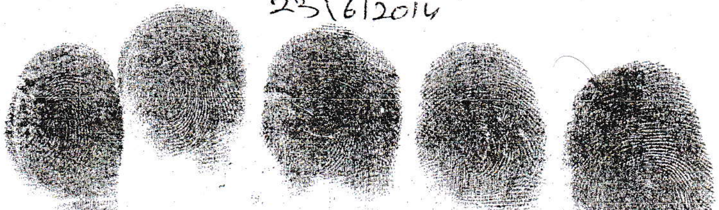

बिमला गोरी नायक
23/6/2014

प्रमाणित किया जाता है कि बिमला गोरी नायक ने अपने बायें हाथ के पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे सामने दिया।

Rumee Ahmad
Adv.
23-6-14

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

सुशील आईन्द
23-06-014

Sushil Ainel

Attested.
Rumee Ahmad
Adv.
23-6-14

प्रमाणित किया जाता है कि सुशील आईन्द ने अपने बायें हाथ के पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे सामने दिया।

Rumee Ahmad
Adv.
23-6-14

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Rauf Ahmad
23.6.14.

(प्रारूपकर्त्ता)
तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 648 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
23-6-2014

मो0 मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

23/6/2014